## कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 2756/ 12-1

दिनांक, रामनगर, १-12-2022

सेवा में.

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल

विषय:

जनपद— उधम सिंह नगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी दाबका भाग—2 से 150 है0 वन भूमि में उप खनिज चुगान (रेता, बजरी, बोल्डर) हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिये जाने के संबंध में लगाई गयी EDS आपत्ति के संबंध में।

संदर्भः

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, का पत्रांक No-8-30/2020/21-F.C./ दिनांक 28-09-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, का पत्रांक No-8-30/2020/21-F.C./ दिनांक 28—09—2022 पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर 6 बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गयी थी, जिसके सर्वध में याचक विभाग को लिखा गया, याचक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए इस कार्यालय को लिखा गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1-	As per the boundaries of the Corbett Tiger Reserve available with the DSS sell (Procured from NTCA/WII) the distance of proposed site is 8.50 km from the Corbett Tiger Reserve. Therefore, either there is discrepancy in the boundaries of above PAs of the KML File of the proposed area being used is not correct, the state Govt, is requested to recheck the boundaries /KML File and accordingly take appropriate action keeping in view the distance of proposed site from the Corbett National Park/Tiger Reserve and the ECO-Sensitive Zone of the PA.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से 16.05 किमी० एवं कॉर्बेट टाइंगर रिजर्व सं 11.35 किमी० की हवाई दूरी पर स्थित है। जिसका सत्यापित मानचित्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक—1) पुनः सत्यापन हेतु मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई०टी०, आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड देहरादून को भी पत्र लिखा गया है। जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त होते हुए ही प्रेषित कर दिया जायेगा। उक्त के क्रम में यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि Ministry of Environment and Forest Wild Life Division की फाईल नं0—F.No-6-10 2011 /WL Dated 19-Dec-2012 के साथ संलग्न गाईड लाईन के बिन्दु सं0—3.5.1 के अन्तर्गत भी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 10.00 किमी० परिधि के अन्तर्गत तथा बिन्दु सं0—3.33 में टाईगर रिजर्व की सीमा व बिन्दु सं0—3.4 में कन्जरवेशन रिजर्व की सीमा व अन्तर्गत आने पर ही NBWL की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान Eco-sensitive Zone अभी तक प्रख्यापित नहीं हो पाया है (संलग्नक—1.1)। उक्त के संबंध में भारत रारकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त विषय पर अपनी फाईल स० FC-11/119'2020-FC Dated 17-May-2022 से दिशानिर्वेश जारी किये गये है। (संलग्नक—1.2)
2-	Propose wise/component wise breakup of proposed Forest Land has still not been submitted.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र की भूमि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत नदी क्षेत्र की तलछट (Sediment) नदी का 150.00 है0 का क्षेत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई सिविल सोयम/नाप भूमि सम्मिलित नहीं है।
3-	Approved Mining Plan has not been provided.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र की खनन योजना बनाई जानी प्रस्तावित है, जिस हेतु उच्च स्तर को पत्र लिखा गया है।
4-	The cost benefit analysis has still not been provided as per the prescribed format /Guidelines given in the Handbook of Guidelines.	यावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के आधार पर तैयार कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–2)

- The details of the all previous approvals accorded by the Ministry in the district of Udham Singh Nagar and Ramnagar in the Kosi and Dabka rivers may be provided along with permissible excavation of RBM as per EC.
- 6- Point No. (xv) Of the Ministry's observation letter dated 11.01.2022 has not been replied completely. The State may provide the detail of the kind of Stone Crushes, how they are leading to illegal Mining, and the detail of case related to illegal Mining booked may be provided. Further the State may also intimate whether Stone Crusher have been established on Forest Land or not. If yes, than whether the approval under FCA, 1980 has been obtained or not?

यायक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कोसी दाबका भाग 2 का खनन क्षेत्र जिला ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत आती है। ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत पूर्व में कोई पर्यावरणीय स्वीकृति (E.C.) निर्गत नहीं की गई है। प्रस्तावित क्षेत्र के निकट नैनीताल जिले के अन्तर्गत कोसी एवं दाबका नदियाँ हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (E.C.) निर्गत की गई है जिसकी छायाप्रति सलग्न हैं। (संलग्नक-03, 04, 05 व 06)

उत्तर। बिन्दु के संबंध में अवगत कराना जाना है कि कॉसी-दाबका नदी के किनारे व उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्टोन क्रेशर राजस्व भूमि पर स्थापित हैं। कोसी व दाबका नदी के समीप ग्रामीणों/खनन कारोबारियों द्वारा अवैध खनन किया जाता है जिसको स्टोन क्रेशरों के द्वारा क्रय किया जाता है, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है। विगत वर्ष 2021–22 व वर्तमान वर्ष 2022–23 में इस वन प्रभाग में अवैध खनन के निम्नलिखित मामले पंजिकत हुएं-

頭0	राजि का नाम	अवैध खनन के मामले	
सं0		2021-22	2022-23
1	रामनगर	144	11
2	बैलपडाव	01	0
3	बन्गाखंडा	60	16
	योग	205	27

उपरोक्त सभी वाहनों पर भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2001) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की गयी। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के आदंश सं० 905/VII-1/2020/68-Rit/08TC देहरादून दि० 12–07–2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2020 के अध्याय–1 (स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाट) के बिन्दु स0 03 में स्टोन क्रशर की न्यूनतम दूरी आरक्षित वन से 100 मी० निर्धारित है। कोसी--दाबका नदी के किनारे व उसके आस—पास के क्षेत्रों में स्थापित स्टोन क्रेशर राजस्व भूमि पर हैं, राजस्व भूमि होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

उक्त आपित्तियों के संबंध में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्नों को आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न– उपरोक्तानुसार

(प्रकाश बन्द्र आये) प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक *2756/* 

/ दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय प्रबन्धक खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर को उनके पत्रांक 1764 / कोसी दाबका भाग-2, दिनांक 19-11-2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

> (प्रकाश चन्द्र आर्य) प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर